न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 102 / 2024 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. घनश्याम पि. नैनालाल जाति ब्राहमण नि. सामिया तहसील सुनेल

– प्रार्थी

बनाम

1. सत्येन्द्र कुमार पि. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण नि. सामिया तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 92 ए रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री पूरीलाल राठौर

वकील अप्रार्थी – श्री सुभाष दांगी

आदेश दिनांक : 29.8.24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 92 ए रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 307, 350, 354, 558, 559 किता 5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार नैनालाल पि. हीरालाल जाति ब्राहमण नि. सामिया के खातेदारी की थी जो प्रार्थी के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खाते उसके पिता से आई है किन्तु अप्रार्थी तथा राधेश्याम ने इस आराजी को धोखे से शामलाती बताकर अपने नाम करवा ली इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी एवं वादीगण के पिता की एक मात्र खातेदारी में थी जिसका अप्रार्थी एवं राधेश्याम से किसी भी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध ही दर्शित नहीं है फिर भी वह वर्तमान में वादग्रस्त आराजी को अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

1/2 भाग का काश्तकार है। यदि अप्रार्थी सं. 1 गैर कानूनी तरीके से उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो जाता है तो प्रार्थी के हितो व अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी।

वर्तमान जमाबंदी सं. 2069–72 के अनुसार ख.नं. 307, 354, 747/55, 748/350, 749/558 किता 5 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा प्रार्थी के नाम स्थित है एवं ख.नं. 55, 350, 491, 558 किता 4 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा अप्रार्थी के नाम स्थित है। राधेश्याम बिना कोई विधिक उत्तराधिकारी छोडे मर गया है। वादी के खाते, कब्जे, काश्त की 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से आधी हिस्से की जमीन अप्रार्थी ने अपनी होना बताकर दिनांक 20.04.2019 को अवैधानिक कब्जा करने की चेष्ठा करने पर प्रार्थी ने दिनांक 29.04.2019 को वाद सं. 22/2019 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 307, 350, 354, 558, 559 किता 5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के अपने पिता के नाम चली आ रही कब्जेदारी में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाये किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करे न ही किसी अन्य से करावे। यदि दौराने वाद अप्रार्थी सं. 1 ऐसा कर भी ले तो प्रार्थी के कब्जे की पुर्नस्थापना करवायी जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाण पत्र की छायाप्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, ग्राम सामिया की जमाबंदी सं. 2048–52 के खाता नकल छायाप्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर एडवोकेट श्री सुभाष दांगी ने वकलातनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत बताकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं विशेष कथन में निवेदन किया कि उक्त वाद धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट का है और स्थायी निषेधाज्ञा वाद नहीं होने से बिना अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

वादी के वाद में धारा 92 ए नहीं है केवल प्रार्थना पत्र में धारा 92 ए लगाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी वास्तवकि तथ्यों एवं पूर्व के निर्णयों को छुपाकर बनवाटी तथ्यों पर दावा एवं प्रार्थना पत्र लेकर आया है। ग्राम सामिया की वादग्रस्त की संबंध में पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड, न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
COURT 20
पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय पारित किये गये है। अब उसी भूमि का इन्ही पक्षकारों के मध्य दावा धारा 11 सीपीसी रेस ज्युडिकेटा से बाधित होकर प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 307 का बेचान वादी द्वारा कलावतीबाई पत्नि चुन्नीलाल धाकड को कर देने पर भी पक्षकार नहीं बनाया है।

वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित निर्णय अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते अलग–अलग हो चुके है। वादग्रस्त आराजियात किता 5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि नैनालाल व लक्ष्मीनारायण पिस. हीरालाल की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि रही है जो कि अकेले नैनालाल के गलत खातेदारी में दर्ज हो गई थी जिस बाबत विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किये गये है। प्रार्थी उक्त सभी तथ्यों एवं निर्णय को छुपाकर बनावटी तथ्यों के आधार पर दावा/प्रार्थना पत्र लेकर आया है जो मय हर्जे–खर्चे खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी खाता सं. 184, आदेशिका प्र.सं. 511/99, निर्णय व डिक्री प्र.सं. 511/99, फाईनल डिक्री प्र.सं. 511/99, दावा दिनांक 13.01.99, डिक्री प्र.सं. 46/123/65, दावा व निर्णय दि. 26.12.67, बयान गवाह कन्हीराम,राधेश्याम, बंटवारा प्रस्ताव व नक्शा, निर्णय व डिक्री प्र.सं. 151/2001, 171/2001, निर्णय प्र.सं. 4021/2002, 4022/2002, डिक्री 4022/2002 एवं डिक्री 4021/2002 की प्रतियां प्रस्तुत की।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रीयों व दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सामिया की विवादित आराजियात के संबंध में उभयपक्षों के मध्य लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है जिस बाबत समय–समय पर विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रीयां जारी की हुई। वादी/प्रार्थी पक्षकार उक्त तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना लेकर आया है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अलग–अलग खाता कायम हो चुका है।ऐसे मे प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ COURT 2024

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना भी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner